



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक:-एफ (20) आकाशि/पॉलिसी /निसं/2022/448

दिनांक:- 6.5.2022

समस्त

संस्था सचिव /अध्यक्ष

निजी संस्थाएं /महाविद्यालय

राजस्थान

विषय : सत्र 2022-23 में ऑन लाइन आवेदन से वंचित रही संस्थाओं (सत्र 2021-22 में NOC पोर्टल पर रजिस्टर्ड) को पुनः अवसर प्रदान करते हुए ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित करने बाबत।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु पूर्व संचालित महाविद्यालयों को अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि/ स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र / नवीन संकाय/ विषय/स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन/प्रबंध अन्तरण/सहशिक्षा अथवा कन्या महाविद्यालय सम्बन्धी परिवर्तन एवं स्थायी व अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण शुल्क जमा करवाने के लिए, सत्र 2022-23 में ऑन लाइन आवेदन से वंचित रही संस्थाओं (सत्र 2021-22 में NOC पोर्टल पर रजिस्टर्ड) को पुनः अवसर प्रदान करते हुए ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने की तिथियां निम्नानुसार होंगी:-

क्र.सं.	प्रकरण	आवेदन की तिथियां	शुल्क विवरण
1	पूर्व संचालित महाविद्यालयों के समस्त प्रकरण	6 मई 2022 से 15 मई 2022 तक	सामान्य आवेदन-शुल्क + रूपये 35000 विलम्ब शुल्क

नोट:-


1. संस्था निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन भरे गए आवेदन को **लॉक एंड सबमिट** अवश्य करे। ऑनलाइन आवेदन की मात्र **ड्राफ्ट** कॉपी मान्य नहीं होगी।
2. सभी पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय जिन्हें अस्थायी अभिवृद्धि/ स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है उन्हें भी ऑनलाईन सूचना प्रपत्र भरना व निरीक्षण शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है।



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

विभिन्न प्रकरणों हेतु सामान्य शुल्क का विवरण निम्नलिखित है-

क्र.सं.	प्रकरण	सामान्य आवेदन शुल्क (रूपयों में)
1	अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अभिवृद्धि/ स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (प्रत्येक प्रकरण के लिए)	70,000
2	सहशिक्षा परिवर्तन/महिला शिक्षा परिवर्तन/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन / प्रबन्ध अन्तरण (प्रत्येक प्रकरण के लिए)	50,000
3	पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा पूर्व में संचालित संकाय में नवीन विषय/विषयों हेतु आवेदन	50,000
4	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा नये संकाय हेतु आवेदन	50,000
5	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन प्रति विषय हेतु आवेदन	30,000
6	निरीक्षण शुल्क- स्थायी /अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्ति के बाद प्रतिवर्ष	25,000
7	संविलयन (Merger) हेतु आवेदन	50,000


संयुक्त निदेशक (नि.स.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशिष्ट सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
7. वेबसाईट प्रभारी आयुक्तानलय कॉलेज शिक्षा जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (नि.स.)